अधिसूचना

चूंकि केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा–112 की उपधारा (2) में प्राविधानित है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जनता की सुरक्षा, सुविधा या किसी सड़क अथवा पुल के खराब होने के कारण जनहित में मोटरयानों/विभिन्न श्रेणी के मोटरयानों की उक्त धारा की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को उक्त कारणों से संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित किया जा सकता है।

और जहाँ उक्त अधिनियम की धारा–112 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुसरण में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली–1998 के नियम 178 द्वारा जनपद के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, को नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की अधिकारिता क्षेत्रों के भीतर यान की श्रेणी या श्रेणियों की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या–1377 दिनांक 06.04.2018 द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को जनहित में उपर्युक्त प्राविधानों के दृष्टिगत संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित करने का अधिकार प्रदत्त किया गया है।

अतः मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या–59, 1988) की धारा 112 की उपधारा (2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम–178 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बहराइच जनपद होकर निकलने/चलने वाले नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में मार्गो या मार्गो के अंश पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की अधिकतम गति सीमा निम्नलिखित तालिका अनुसार निर्धारित की जाती है–

क्र सं	मार्ग का नाम एवं संख्या	स्थान (कहां से कहां तक) जहां गति निबंधित रहेगी।	यान की श्रेणी अनुसार निबंधित कर निर्धारित की गयी गति सीमा			
			टू व्हीलर/थ्री व्हीलर	चालक सहित 7 सीटों तक वाले यान	चालक सहित 8 से 12 सीटों तक वाले यान	समस्त मालयान एवं स्तंभ 4,5 एवं 06 को छोड़कर कर अन्य समस्त यात्री यान
1	2	3	4	5	6	7
1	बहराइच–नानपारा–रूपैडिहा एवं सहबद्ध मार्ग एनएच–927	झिगहाघाट से नानपारा–रूपैडिहा तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
2	बहराइच–नानपारा–मिहींपुरवा–कतर्नियाघाट एवं सहबद्ध मार्ग एनएच–730	झिंगहाघाट से मिहींपुरवा–कतर्नियाघाट तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
3	बहराइच–नानपारा–मिहींपुरवा–जालिमनगर–सिसैय्या क्रासिंग एवं सहबद्ध मार्ग एनएच–730	झिंगहाघाट से मिहींपुरवा–जालिमनगर –सिसैय्या क्रासिंग तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
4	बहराइच–नानपारा–नवाबगंज–शंकरपुर मुडैय्या एवं सहबद्ध मार्ग, एमडी–165 ई	झिगहाघाट से नानपारा–नवाबगंज–शंकरपुर मुडैय्या तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
5	बहराइच–नानपारा–शिवपुर–खैरिघाट एवं सहबद्ध मार्ग ओ0डी0–0071	झिंगहाघाट से –नानपारा–शिवपुर–खैरिघाट तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रतिघण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
6	बहराइच–नानपारा–कैलाशपुरी (रामपुर धोबिया) एवं सहबद्ध मार्ग, ओडी–0010	झिगहाघाट–नानपारा–कैलाशपुरी (रामपुर धोबिया) तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रतिघण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
7	बहराइच–महसी–खैरिघाट एस0एच0–30बी0	गोलवाघाट से महसी खैरीघाट तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रतिघण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा

Scanned by CamScanner

क्र सं	मार्ग का नाम एवं संख्या	स्थान (कहां से कहां तक) जहां गति निबंधित रहेगी।	यान की श्रेणी अनुसार निबंधित कर निर्धारित की गयी गति सीमा			
			टू व्हीलर/थ्री व्हीलर	चालक सहित 7 सीटों तक वाले यान	चालक सहित 8 से 12 सीटों तक वाले यान	समस्त मालयान एवं स्तंभ 4,5 एवं 06 को छोड़कर कर अन्य समस्त यात्री यान
8	बहराइच–कटाहीघाट–खैरीघाट एवं सहबद्ध मार्ग ओडी–062	झिंगहाघाट–कटाहीघाट–खैरीघाट तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रतिघण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
9	बहराइच–करनैलगंज वाया हुजूरपुर ओ0डी0आर	सूफीपुरा से हुजूरपुर–करनैलगंज तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रतिघण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
10	मरौचा–बौण्डी	मरौचा बाजार से बौण्डी तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रतिघण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
11	फखरपुर–बौण्डी–रमपुरवा चौकी–महसी–भिलौरा बासू	फखरपुर बाजार से बौण्डी–रमपुरवा चौकी–महसी–भिलौरा बासू तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रतिघण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
12	बहराइच–रिसिया एनएच–730	आसामरोड से रिसिया तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रतिघण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
13	गूढ़–हरखापुर–सुजौली	मोतीपुर से गूढ़–हरखापुर–सुजौली तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रतिघण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
14	रायपुर–टपरहा–टिड़िया–शंकरपुर–इमामगंज ओ0डी0आर	रायपुर बाजार से टपरहा–टिड़िया–शंकरपुर–इमामगंज तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
15	कैसरगंज–हुजूरपुर–पयागपुर–मोहिनीपुर (इकौना) ओ0डी0आर0	कैसरगंज बाजार से हुजूरपुर–पयागपुर–मोहिनीपुर (इकौना) तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रतिघण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
16	बहराइच–रमपुरवा चौकी–बौण्डी ओ0डी0आर0.	गोलवाघाट से रमपुरवा चौकी–बौण्डी तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रतिघण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
17	कैसरगंज–गांधीगंज	कैसरगंज बाजार से –गांधीगंज बाजार तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रतिघण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
18	पयागपुर–गंगवल ओ0डी0आर0	पयागपुर बाजार से गंगवल बाजार तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रतिघण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
19	मरौचा–पटखौली ओ0डी0आर0	मरौचा बाजार से पटखौली तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रतिघण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
20	तिकोरा मोड़–महसी–चहलारी घाट एस0एच0–30बी	तिकोरा मोड़–महसी–चहलारी घाट तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रतिघण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
21	बहराइच–कैसरगंज–जरवल रोड़ एनएच–927	गोलवाघाट से कैसरगंज–जरवल रोड़ तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रतिघण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
22	बहराइच– गिलौला–इकौना – बलरामपुर एनएच–730	दौनक्का से गिलौला–इकौना – बलरामपुर तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रतिघण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
23	बहराइच–गोण्डा–फैजाबाद एसएच–30	दौनक्का से गोण्डा–फैजाबाद तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रतिघण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
24	जरवल रोड–बाराबंकी एनएच–927	जरवल रोड से घाघराघाट तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रतिघण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
25	पयागपुर–इकौना ओ0डी0आर0	पयागपुर बाजार से इकौना बाजार तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रतिघण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा

Scanned by CamScanner

गति संबंधी उपरोक्त प्रतिबंध निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रभावी होगा–

(i) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–116 में विनिर्दिष्ट साइन बोर्ड प्रतिबंधित स्थान के दोनो छोर–प्रारम्भिक एवं अंतिम बिन्दु पर तथा मध्य में भी जगह–जगह पर आई0आर0सी0 कोड के मानक अनुसार संबंधित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालकों को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सके तथा वे रात्रि में भी चमके इसके लिये रेट्रो–रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोग किया जायेगा।

(ii) उक्त प्रतिबंध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 में विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नही होगा–
- अ) अग्नि शमन वाहन।
- ब) एम्बुलेंस।
- स) पुलिस वाहन।
- द) कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्ध सैन्य बल के लिये प्रयुक्त होने वाले वाहन।
- य) प्राकृतिक आपदा के प्रबंधन के लिये प्रयुक्त वाहन।

(iii) उपरोक्त तालिका के कॉलम–3 में उल्लिखित स्थानों को छोड़कर जनपद के सभी मार्गो के अन्य श्रेत्रों (नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर) में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा–112 की उप धारा (1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या 1377, दिनांक 06.04.2018, समय–समय पर यथा संशोधित, द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा यथावत लागू रहेगी।

आज्ञा से–

(वीरेन्द्र सिंह)
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी/
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी
जनपद–बहराइच।

संख्या 470/स0सु0/2020/समदिनांकित–

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात), यातायात निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
3. जिलाधिकारी, बहराइच।
4. पुलिस अधीक्षक, बहराइच।
5. निदेशक, छपाई एवं मुद्रण सामग्री, राजकीय प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को राज्य सरकार के प्रकाशित होने वाले सरकारी गजट मे प्रकाशित करने का कष्ट करें।
6. अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय/निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बहराइच।
7. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (पूर्वी/पश्चिमी), लखनऊ, उ0प्र0।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी/
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी
जनपद–बहराइच।

Scanned by CamScanner

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
बहराइच।

पत्र संख्या 469 / सा0प्रशा0 / प्रेस–विज्ञप्ति / बहराइच / 2020 दिनांक 17.06.2020

प्रेस–विज्ञप्ति

नगरी निकाय को छोड़कर जनपद बहराइच के अवशेष सभी मार्गो पर गति निर्धारित की अधिसूचना प्रकाशित करायी जा रही है, चूंकि केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा–112 की उपधारा (2) में प्राविधानित है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जनता की सुरक्षा, सुविधा या किसी सड़क अथवा पुल के खराब होने के कारण जनहित में मोटरयानों / विभिन्न श्रेणी के मोटरयानों की उक्त धारा की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को उक्त कारणों से संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित किया जा सकता है।

और जहाँ उक्त अधिनियम की धारा–112 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुसरण में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली–1998 के नियम 178 द्वारा जनपद के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी / सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, को नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की अधिकारिता क्षेत्रों के भीतर यान की श्रेणी या श्रेणियों की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या–1377 दिनांक 06.04.2018 द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को जनहित में उपर्युक्त प्राविधानों के दृष्टिगत संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित करने का अधिकार प्रदत्त किया गया है।

अतः मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या–59, 1988) की धारा 112 की उपधारा (2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम–178 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बहराइच जनपद होकर निकलने / चलने वाले नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में मार्गो या मार्गो के अंश पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की अधिकतम गति सीमा निर्धारित की जाती है, जो निम्न प्रकार है–

क्र0सं0	यान की श्रेणी	निर्धारित गति सीमा	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	टू व्हीलर / थ्री व्हीलर वाहन	40 किमी0 प्रति घण्टा	–
2	चालक सहित 07 सीटों तक वाले यान	60 किमी0 प्रति घण्टा	–
3	चालक सहित 08 से 12 सीटों तक वाले यान	60 किमी0 प्रति घण्टा	–
4	समस्त भारी मालयान एवं भारी यात्री वाहन	50 किमी0 प्रति घण्टा	–

उपरोक्त निर्धारित गति से अधिक सीमा से वाहन को चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अनुसार कार्यवाही की जायेगी एवं निर्धारित गति सीमा के अनुसार वाहन का संचालन करने पर सड़क दुर्घटना में भी कमी आयेगी।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
(प्रशासन) बहराइच।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिला सूचना अधिकारी बहराइच को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि जनपद बहराइच से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रो में जनहित एवं राजकीय हित में निः शुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
2. सम्पादक महोदय दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिन्दुस्तान को इस आशय से प्रेषित है कि अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
(प्रशासन) बहराइच।

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

परिवहन विभाग ने वाहनों की गति सीमा निर्धारित की

बहराइच | हिन्दुस्तान संवाद

जिले के विभिन्न मार्गों पर हो रहे सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए परिवहन विभाग ने एक नई पहल की है। इसके तहत नगरीय निकाय को छोड़कर जिले के अवशेष सभी मार्गों पर गति निर्धारित की अधिसूचना प्रकाशित कराई जा रही है।

एआरटीओ प्रशासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि चूंकि केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 अधिनियम संख्या 59, 1988 की धारा 112 की उपधारा (2) में प्राविधानित है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की ओर से जनता की सुरक्षा, सुविधा या किसी सड़क अथवा पुल के खराब होने के कारण जनहित में मोटरयानों विभिन्न श्रेणी के मोटरयानों की उक्त धारा की उपधारा एक के अन्तर्गत केन्द्र सरकार की ओर से निर्धारित अधिकतम गति सीमा को उक्त कारणों से संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित किया जा सकता है।

इस नियम के अनुसार दो पहिया और तीन पहिया वाहन की गति सीमा चालीस किमी प्रति घंटा, चालक सहित सात सीटों तक वाले यान 60 किमी प्रति घंटा, चालक सहित 8 से 12 सीटों तक वाले यान 60 किमी प्रति घंटा तथा समस्त भारी मालयान एवं भारी यात्री वाहन 50 किमी प्रतिघंटा की गति से ही चलाए जा सकते हैं। इन निर्धारित गति से अधिक सीमा से वाहन चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। साथ ही निर्धारित गति सीमा के अनुसार वाहन का संचालन करने पर सड़क दुर्घटना में भी काफी हद तक कमी भी आएगी।

Scanned by CamScanner

वाहन तेज चलाने वालों पर होगी कार्रवाई

संवाद न्यूज एजेंसी।

बहराइच। हाईवे समेत विभिन्न मार्गों पर हो रही दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए शासन द्वारा वाहनों के अधिकतम गति के निर्धारण की अधिसूचना जारी कर दी है। सहायक संभागीय अधिकारियों को इस पर अंकुश लगाने के कड़े निर्देश दिये गये हैं। शासन के निर्देश के बाद अब विभाग द्वारा मार्गों पर तेज गति से चलाने वाले वाहन चालकों पर कड़ी कार्रवाई करने की कार्ययोजना बनाई है।

हाईवे समेत अन्य विभिन्न मार्गों पर आये दिन वाहन दुर्घटनाग्रस्त होते रहते हैं। दुर्घटना में अब तक कई लोग अपनी जान गवां चुकें हैं। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए शासन द्वारा केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम को सख्त करते हुये वाहन चालकों के लिए वाहनों के अधिकतम गति को निर्धारित करते हुये कार्ययोजना बनाई है। शासन द्वारा वाहनों के प्रकार को देखते हुये निर्धारित गति की सीमा का निर्धारण कर जनपदों के संभागीय परिवहन विभाग को अधिसूचना जारी कर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिये हैं। सहायक संभागीय परिवहन विभाग अब ऐसे वाहन चालकों पर शिकंजा कसेगी, जो वाहन चालक मार्गो पर निर्धारित गति से तेज वाहन चलायेंगे। हालांकि नगर क्षेत्र में चलने वाले वाहनों को अधिसूचना से बाहर रखा गया है। नगरीय क्षेत्र में चलने वाले वाहनों के लिए किसी भी तरह गति का निर्धारण नही है।

शासन के निर्देश पर जिले में भी बनी कार्ययोजना

चलेगा अभियान, होगी कड़ी कार्रवाई

जनपद से निकलने वाले विभिन्न मार्गों पर वाहनों के चलने की गति का निर्धारण कर कार्ययोजना बना ली गई है। मार्गों पर वाहनों की गति की जांच को लेकर टीम बनाई गई है। शीघ्र जांच अभियान चलायेगा। इस दौरान अगर कोई भी वाहन चालक अपना वाहन गति निर्धारण से तेज चलाता पाया जायेगा। उस वाहन चालक का चालान करते हुये कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

- वीरेंद्र सिंह, एआरटीओ प्रशासन

इन वाहनों पर नियमावली नहीं होगी लागू: शासन द्वारा जारी की गई अधिसूचना में अग्निशमन वाहन, एंबुलेंस, पुलिस वाहन, कानून व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल व अर्ध सैन्य बल के लिए प्रयोग में लाये जाने वाहन और प्राकृतिक आपदा के प्रबंध में लगाये गये वाहनों पर केंद्रीय मोटर यान नियमावली लागू नही होगी।

इन वाहनों की अधिकतम गति की गई है निर्धारित : दो व तीन पहिया वाहनों की निर्धारित अधिकतम गति 40 किलोमीटर प्रतिघंटा। चालक समेत सात सीट वाले वाहनों व 8 से 12 सीट वाले वाहनों की 60 किलोमीटर प्रतिघंटा और समस्त भारी माल ढोने वाले वाहन व यात्री वाहनों की 50 किलोमीटर प्रतिघंटा की गति का निर्धारण किया गया है।

Scanned by CamScanner